

244
21/1/25

62



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024 - 25.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमांतीलाल उपाध्याय** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक ग्रेड-II**
 3. वर्तमान वेतन **45३०० + DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई 2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	** वर्तमान मूल्य	यदि रखये के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ^{***} शरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** शरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - भोपाल लह. - हुजूर पा. - 26 हारि नगर नीलगढ़ जिला - भोपाल	म.नं. - 11/1 पा.नं. - 26 हारि नगर नीलगढ़ जिला - भोपाल	768.5.9 21.००.००	रुपये लाख	स्थर्यं पल्ली के नाम पर अंकित है।	आधार हाउसिंग फायनेंस से जूह ऋण लेकर प्लाट पर मुकान बनाया जाया है।	नहीं	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मछ्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के तमय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा अर्जित रामस्त अचल संपत्ति के ब्यारे हैं।

श्रीमांतीलाल
हस्ताक्षर
नाम
पद
सहायक ग्रेड-II

183
16/11/25

63



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ८७-१५१५ 2. वर्तमान धारित पद १८८८-१९५५
3. वर्तमान वेतन १६६० अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बरतमाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से न्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा मर्जन की तारीछ और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
४८-१५१५ -							

* जहां लाशू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य वा राही-गही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम शेषी, द्वितीय त्रेती तथा तृतीय शेषी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर ८८-१५१५ -

नाम ८८-१५१५ -

पद ८८-१५१५ -

241
21/1/25

64



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विनोद चतुर्वेदी 2. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ लेखा अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 45,900/- + ह्री.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, जप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - कलखेड़ी लहौ - हुधर जिला - मोगाल	-	०.०१७ हौ. कृषि भूमि		श्रीगंगती प्रसिला - चतुर्वेदी (पूर्णी)	श्री जगदीश प्रसाद मिश्र (पिंडा जी) दुकारा प्रदत्त	निरंकु	-
लहौ कोलार जिला - मोगाल	M16-58 कान्हा कुंज क्षेत्र-1 कोलार रोड़ मोगाल	-	40,00,000/- (गली संख्या) माल	श्रीगंगती प्रसिला - चतुर्वेदी	चैक लोन दर्दं परिवार के सहायता तथा छप्पं की वज्र से कृप किया गया।	60,000/- (साठ हजार)	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में समझ मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मायप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
नाम
पद
विनोद चतुर्वेदी
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

14
751125

65

389
151125

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विजय कुमार द्विवेदी 2. वर्तमान धारित पद सहायक अधिकारी - II
3. वर्तमान वेतन ₹4600 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख JANUARY, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्वं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह विस्तके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से नया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्थान, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिवक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ नामून हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पर्कित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने भी अवधि के पश्चात गह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

प्रस्तावकर
नाम विजय कुमार द्विवेदी
पद सहायक अधिकारी
मुद्रा प्रिया नम्रा

153
१५६१२५



66

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो फिल्ड एग्ज़ाक्यूटिव ग्रुप ट्रिल ल.स. 2, वर्तमान धारित पद सुप्रिसल ग्रेड-2
 3. वर्तमान वेतन 360.00/- DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	वहि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार वर्जित किया गया *** बरीद, पटा, बंधक, विरासत, घोट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे वर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रे	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रियति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय वेदी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वार्ष यहाँने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा वर्जित अपवाह उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रे हों।

हस्ताक्षर

नाम फिल्ड एग्ज़ाक्यूटिव ग्रुप ट्रिल ल.स. 2

पद सुप्रिसल ग्रेड-2

425
27/2725

67

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 २५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिलीप कुमार - २५५८..... 2. वर्तमान धारित पद ग्राम पंचायती - २
3. वर्तमान वेतन प.र. ०००.००.०० P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०३ जून - २५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विचासे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापे	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>गुरुद्वारा लिया</u> <u>त. लांडेपट्टि. इन्हों</u>	<u>३.५० एकड़ीया</u> <u>कृषि भूमि</u>	<u>३.५० एकड़ीया</u> <u>१२०५</u>			<u>३१३१०० रुपये वार्षिक</u> <u>प्रति एकड़ी</u>	<u>१०५० रुपये</u>	
<u>मुराद गाँविला</u> <u>त. आंदोरा गोंड</u> <u>पाठी १</u> <u>मुरुल्डी</u> <u>एक दो एकड़ी</u>		<u>५० X ५०</u> <u>२००५</u>			<u>प्रति एकड़ी ५०० रुपये</u> <u>प्रति एकड़ी ५०० रुपये</u>		
					<u>प्रति एकड़ी ५०० रुपये</u> <u>प्रति एकड़ी ५०० रुपये</u>		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-रही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से गह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में विली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा आरित समस्त अचल संपत्ति के लिए है।

हस्ताक्षर

नाम दिलीप कुमारपद ग्राम पंचायती

28
८/१/२५

69



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उपेन्द्र कुमार पाण्डे, 2. वर्तमान धारित पद प्रभारी सहायक ग्रेड-2
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख भूत्लालि, 2025

उस जिले, उप संभाग, वालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या बन्ध किसी प्रकार से तथा वर्वन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीतलन टाउन मंडीदीप (ज़िला)- शपलेन वाडी-26, ग्राम- जोरा, तह. हुजूर ज़िला, भोपाल ग्राम हंडिया, तह. नडीगढ़ी, ज़िला मऊज़ज़ (मध्य.)	भवन क्र. 117 मंडीदीप (ज़िला)- (16x30 कम्फी) 2 शपलेन वाडी-26, ग्राम- जोरा, तह. हुजूर ज़िला, भोपाल ग्राम हंडिया, तह. नडीगढ़ी, ज़िला मऊज़ज़ (मध्य.)	- भूरेकड़ 2700 कम्फी 2 चैतुक संयुक्त काच्चा भवन	15,00,000 अनुमानित 2700 कम्फी 2 15,00,000 अनुमानित	स्वयं के नाम पर पत्नी के नाम पर (प्रीमती सरोजनी पाण्डे)	क्रय कर क्रय कर	-निरेक-	
		चैतुक संयुक्त काच्चा भवन	चैतुक कंकर कूष्ठ भूमि	संयुक्त खाते ने बदान नहीं हुआ है।	चैतुक खपति	निरेक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिथर्टि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में पिछी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यह बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के व्यारे हों।

लालू
हस्ताक्षर ०९/०१/२५
नाम उपेन्द्र कुमार पाण्डे
पद प्रभारी सहायक ग्रेड-2

259
22/1/25

69



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के
भल फिरोर पड़ी 2. वर्तमान धारित पद संघामक लेड-2
3. वर्तमान वेतन 43300/- + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 15.03.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे विस प्रकार अर्जित बिना या *** खरीद, पटा, बंष्टक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीछ और जिससे अर्जित की रई हो उसका नाम तथा ब्लौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपाल L.G.-56 उजाहियापीना हावलोड़ छालेम्बी कोहरनगर ओपाल	गृह तथा अन्य मूल्य	भूमि	X	15 लाख	—	—	—

* जहां लाभ न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - भव्यधर्मशासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह जोखिम है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंष्टक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्लौरे दें।

WVMS

हस्ताक्षर
नाम ... भल फिरोर वर्ड-2
पद संघामक लेड-2
प्राप्ति नियमान्वय
जनरल ऑफिस

27
8/11/25

70



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अब्दुल हमीद 2. वर्तमान धारित पद सेहानुक ३५-२

3. वर्तमान वेतन 43,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख १.३.२०२५-

उस जिले, उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमान वेतन के नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से नवा संबंध है	उसे विस्त प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित भी गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>गुरुन</u> <u>रामपुराणी</u> <u>पठार</u>	<u>Y</u>	<u>(300 रुपये प्रति)</u>	<u>20X40</u>	<u>Rs 3,73,500/-</u>	<u>रामगंग पली</u> <u>गोलडन रिंग</u> <u>इस फ्रेंचार्स से</u> <u>पूर्वी 2016 में</u> <u>क्लियर</u>	<u>5</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा
पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवका उसे विरासत में भिजी या उसके अपने नाम पर या उसके
परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यापे दें।

हस्ताक्षर

नाम अब्दुल हमीदपद सेहानुक ३५-२

275
28/11/25

71



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ...अचंना शर्मा.....
2. वर्तमान धारित पद सहायक निदुः-II
3. वर्तमान वेतन 42,000+5/- ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख मार्च 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्वा संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छीद, पट्टा, बंछक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E-8 एस्टेंशन सहयोग परिषद त्रिलंग ग्रामपुरा झोपाल	ट्रुपलैक्स मकान	1130 वर्गफिट	वर्तमान में बाजार दर के मुद्रार	स्वयं स्वयंपति के नाम पर	त्रिलंग द्वारा	X	X

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंछक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अचंना शर्मा

नाम अचंना शर्मा

पद सहायक निदुः-II

ज्ञानवाला
25.02.25५१
२५/२/२५

७२

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पुरुषोलम् पांचाल 2. वर्तमान धारित पद सहाय्या प्रमाणी
3. वर्तमान वेतन ३७३०० + फैल अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंशक, विरासत, वैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	—	लाई ५ लाई नं. २६ बीजबड़ मोपाल	रुपये ४ लाख साँड़िज २४X५७	श्रीमती दीपा पांचाल (पत्नी)	नगद खरीदी दि. ०२/१२/२०२२ विक्रेता श्री दीपक तिवारी मोपाल (SBI के पर्वतिल अद्वालप)	NIL	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रयम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह शोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवश्य उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर

नाम पुरुषोलम् पांचाल
पद

सहाय्या प्रमाणी

22/
20/11/25

73



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आरूप मेटा वर्तमान धारित पद सदृश अधिकारी3.वर्तमान योगता 33100 + 15% अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2025,

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि खेत के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पटटा, दंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से गार्थिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

*जहां लागू न हो बनाए दीजिए।

**ऐसे भागों में जहां नूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान विधि के संदर्भ में लगभग भूला बतलाया जाए।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्भिलता हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1969 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिकृत है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परावात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिक विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी रादस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बेक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल संपत्ति के बीचे है।

पत्राकार
नाम :-
पद :-

आरूप मेटा
सदृश अधिकारी
सदृश अधिकारी
01-07-2025

५६
ज्ञा/१८५

७४



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शुभीता साहनवृद्ध
2. वर्तमान धारित पद लेटा ग्रुड - II
3. वर्तमान वेतन ३३,१०० + डॉ. ज्ञा अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे	* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पूर्वी उत्तर प्रदेश लखनऊ दिल्ली हायर एज्युकेशन (उत्तर प्रदेश) उत्तर प्रदेश लखनऊ दिल्ली हायर एज्युकेशन (उत्तर प्रदेश)	पैरोट एन्ड सेक्युरिटी लिमिटेड हायर एज्युकेशन लिमिटेड हायर एज्युकेशन लिमिटेड	१२१ बी.एस. लोगोन डिल्ली पैरोट	१०,०००/- १२१ बी.एस. लोगोन डिल्ली पैरोट	पैरोट कैम्प लोगोन डिल्ली पैरोट	पैरोट सेक्युरिटी लिमिटेड पैरोट	१०,०००/-	

* जहां लाभ न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां गूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में यिली या उसके अपने नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यापे हैं।

हस्ताक्षर
नाम शुभीता साहनवृद्ध
पद लेटा ग्रुड - II

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रियंका भट्टाचारी 2. वर्तमान धारित पद सहाय्यक डॉक्टर-2
3. वर्तमान वेतन 40,974/- P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापे	संपत्ति ये वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य मूल्य	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
काश्यकालीन	42, प्रियंका भट्टाचारी, काश्यकालीन ग्राम, अमृतपुर।			श्रीमती प्रियंका भट्टाचारी (आताजी) श्रीमती प्रियंका भट्टाचारी	प्रियंका भट्टाचारी पर्सनल लेन की कालीन		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यापे हैं।

हस्ताक्षर P. Mehta
नाम प्रियंका भट्टाचारी
पद सहाय्यक डॉक्टर-2

35
४११/२५

76



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनोज कुमार दुबे 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रन्ट मैनेजर

3. वर्तमान वेतन 34,100 + डी.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उल्लंघन का नाम तथा व्यौरे गृह तथा अन्य भवन	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे गृह तथा अन्य भवन	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, बैट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	नि-र-क	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भागले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - भारत प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम मनोज कुमार दुबे
पद सहायक ग्रन्ट मैनेजर
४८४५८-८-८

198
25/1/25

77



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : जगन्नाथ कुमार गुप्त
2. वर्तमान धारित पद : कलाशमंडि, बिहार, २०२५
3. वर्तमान वेतन 34100 + DA, अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा बर्बन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा औरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जीलबुड़ गढ़बुड़ गढ़ गोपाल	रुपा 1000 स्वेच्छा	रुपा 1500000	स्वयं		वरीदका	जीरक	
जीतबुड़, लह कुरु जिला गोपाल	रुपा 3000 स्वेच्छा	रुपा 1500000	स्वयं एवं गोपी के नाम पर		वरीद का	जीरक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां गूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पर्कित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (बाचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पांचात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हारा अर्जित अथवा उसे विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा धारा धारित समरूप अचल संपत्ति के लिए हों।

हस्ताक्षर
नाम जीरक गोपी
पद कलाशमंडि, बिहार, २०२५

253
22/11/25

78

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अमिती उमिला तिवारी** 2. वर्तमान धारित पद **स्थायीक मौजूद-2**
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2025

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** घरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	पल्टेट्टू नृ दृतीप तल गौख नगर लालिंगलॉड लोलोती व्याहु शिली कोलार टेड भोपाल।		12,50,000 आरह लाल इक्सावीश ट्रांस	स्वयं के नाम पर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नृन लेकर स्वयं दोष राशि जी. बी. एफ.एस. (पट्टी लाइन) से विकालका क्रम की गई।		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात गहर घोषणा पत्र भर कर अस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हों।

हस्ताक्षर 10/10/2025

नाम **अमिती उमिला तिवारी**
पद **स्थायीक मौजूद-2**



27
23/11/25

79



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलसम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 २५-२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीखंडलालभट्टाचार्य 2. वर्तमान धारित पद अधीकर्ता - II
 3. वर्तमान वेतन पैसे, ४०० + DA 3. वर्तमान वेतनवृद्धि की तारीख सुलझाइ दिनांक

उस जिसे, उप संचारा, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा बौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम परन हैं तो बतलादें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासनोदय कर्मचारी से क्या संबंध !	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निर्णय

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 - ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - *** इसमें अस्तप्रकालीन यहै भी सम्भिलित है।
- टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बादप्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बादप्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बादप्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा सेवा के प्रत्येक सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यहै या बंधक पर उसके ग्राह धारित समस्त अचल संपत्ति के बौरे हैं।

हस्ताक्षर
 नामश्रीखंडलालभट्टाचार्य
 पदअधीकर्ता - II

67
११/१२५

80

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीभट्टी लवाती तिवारी 2. वर्तमान धारित पद लेखन प्रैस - II
3. वर्तमान वेतन ३३,१००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख १.५.२०२५

266
११/१२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छरीद, पट्टा, बंशक, विरासत, बैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				प्रिंटर			

* जहां लागू न हो काट वीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-गही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह गहीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में विली गा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यापे हैं।

हस्ताक्षर Swati
 नाम श्रीभट्टी लवाती तिवारी
 पद लेखन प्रैस - II

39
३१/८५

81



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

4. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीराम दुबे 2. वर्तमान आरित

पद सहायक ग्रेड-2 3. वर्तमान वेतन 35100 अगली बेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उम्मीदवार का नाम तथा अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पद	संपत्ति का नाम तथा अधिकारी का नाम	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था	संपत्ति से बाहरिक आय	अभियुक्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम महगवां जिला जबलपुर मध्यप्रदेश	गृह तथा अन्य भवन कृषि भूमि	2 एकड़ 80 डि. कृषि भूमि	लगभग 300000	स्वयं के नाम पर	पारिवारिक	20000/-	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भागों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी — मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति को समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विराजन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के अधीन हों।

हस्ताक्षर ०८/०१/२०२५
नाम — श्रीराम दुबे
पद — सहायक ग्रेड-2

169
16/1/25

62



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 24

(क्रप्र.विवरण लगा)

प्रदेश विद्यान भूमि
430
अप्रैल 16/1/25
विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति नौरा 2401 भट्टेश्वरी 2. वर्तमान धारित पद सहाय्य नृत् II-(2)
3. वर्तमान वेतन 2400 रुपये अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 नवंबर 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वरलाइसेंस कि: वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य वरलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह शहीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिजी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम
पद
श्रीमति नौरा भट्टेश्वरी
सहाय्य नृत् II (2)

27/1
23/1/25

83



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ८०१०५२१५.५२११/-, वर्तमान धारित पर

2. वर्तमान वेतन ३५१०० + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख ७५०/१२/ 2025

संलग्न प्रेट- 2

इस जिले, उच सभाग, ज़ालूका-तथा गाम का नाम, जिसमें उसके हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे	** वर्तमान मूल्य भवन	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, बेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की मई हो उसका नाम तथा व्याप्रे	संपत्ति से वार्षिक वाय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
९६, सुनदूरभूति गृही गुडग रवेलला २०३३, ग्राम पंचायत २०४४ २५३५, लहमील कुछुर, ग्राम ओपाल	८५०२ १५०० डॉ. जन्मिति वायपु ३०५५ ३०५५ ५५	८५०२ १५०० डॉ. जन्मिति वायपु ३०५५ ३०५५ ५५	८५०२ १५०० डॉ. जन्मिति वायपु ३०५५ ३०५५ ५५	लौह एवं पली कीभती अनील वृक्ष के बाम	२०५६ अ-		

* जहाँ लागू न हो काट दीवान।

** ऐसे घामने में जहाँ मूल्य का महीं-सही नियांरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्ट भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - सचिवप्रदेश शासकीय सेवक (आवश्यक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदन्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के नमय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति के ब्योरे दे।

३०५५

हस्ताक्षर
नाम ३०५५

पद अधिकृत प्रेट- 2

68
9/1/25

84

267
9/1/25

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भीमती नैहा शर्मा 2. वर्तमान धारित पद ५८० फ्रैट-१
3. वर्तमान वेतन ₹ ३,३०५/- (तीन हजार अगली वेतनवृद्धि की तारीख १ अक्टूबर २०२५

उस जिले, उप संचाराग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से न्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया था *** छारीब, पट्टा, बंशक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रि	संपत्ति से वार्षिक लाय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
छोलारोड, भोपाल सर्वधार्मी, ओ लेखन	छोलोड	करोड़	४००००००/-	स्वयं के नाम पर	प्रदान लेख	नि।	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-रही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अवृप्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु मुहीने की अवधि के पारात यह चोबाला पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवध्या उसे विरासत में यिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अवश्य संपत्ति के व्याप्रि हों।

हस्ताक्षर १०.१.२५

नाम नैहा शर्मा
पद फ्रैट-१

५८० फ्रैट-१

319
३१/११/२५

85



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राम प्रताप राम
 2. वर्तमान धारित पद पृष्ठ-२५-२
 3. वर्तमान वेतन ५३३०० + D.A. जगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा अवैरि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे वित्त प्रकार अर्जित विधा भया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्वाचक	१२२५	-	-	५३३००	-	-	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधि के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवश्य उसे विरासत में छिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के अधीन हों।

हस्ताक्षर २५/११

नाम राम प्रताप राम

पद पृष्ठ-२५-२

129
१५/१२५

८६



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जनरल पाली वाले 2. वर्तमान धारित पद सु.प्र.कृ.कृ.

3. वर्तमान वेतन ३९६०० + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख ११.७.२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि		** वर्तमान मूल्य	बदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्थान, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			५०००	५०००			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने में व्यवस्थि के पश्चात गहू घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी भद्रस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर जनरल पाली वाले

नाम जनरल पाली वाले
पद सु.प्र.कृ.कृ. (पुरात)

५७
८/१/२५

६१



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोपील कुमार ठाकुर, 2. वर्तमान धारित पद संसदीय लेडी-2
3. वर्तमान वेतन ३६,२०० रुपये, अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५ अक्टूबर 2024.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्व के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शारीरीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख वैर जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से जारीक वाच	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	निम्न					निम्न	निम्न

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान शिक्षित के संदर्भ में समान मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकांश है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

२०२५/११
हस्ताक्षर
नाम गोपील कुमार ठाकुर
पद संसदीय लेडी-2



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमाति शास्त्रिनी पाण्डे 2. वर्तमान धारित पद सहायक लेखापाल

3. वर्तमान वेतन 30300 + DA 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा अवैदि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका आसकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और विससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्लौरा	संपत्ति से वार्षिक आम	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्लैट नं.- B3 ब्लाक - 8 कोलार रोड भूमिको परिसर भोपाल	प्लैट	1000 SF.	वास्तव भूलभ	स्वयं	सेवा द्वारा भूमि बेचकर	NIL	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भार वर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के ब्लौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

श्रीमाति शास्त्रिनी पाण्डे

पद

सहायक लेखापाल

154
१५/११/२५

89

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विपिन थांकर गेहता, म०५०५५६७८५३, वर्तमान धारित पद स.८१२०३ वर्ष 2025-2
3. वर्तमान वेतन ३१२०० + O.A., अशवी वेतनवृद्धि की तारीख ०१/७/२०२५

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे जिस शकार अर्जित किया गया *** खटीय, पट्टा, चंडाक, विरासत, घैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिसे अर्जित की शई हो उसका नाम तथा लौटाए	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ गूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सभाग मूल्य बतानाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - महावरदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्यात यह घोषणा करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के लिये हो।

हस्ताक्षर विपिन थांकर गेहता
नाम विपिन थांकर गेहता
पद स.८१२०३ वर्ष 2025-2

318
३१/१२५

७०



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२४

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भृष्टि श्री रामदेव
२. वर्तमान धारित पद मुख्यमंत्री
३. वर्तमान वेतन १५५०००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५/०९/२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित बिला गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	शूभ्रि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१। वाराणसी/लिपा <u>१५/०९/२५</u> मा॒ळा॑ ऐ॑ ३१०८५५५१२५०							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु मर्जीने की ववधि के पश्चात यह शोधणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवयव उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर घटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बौरे हों।

हस्ताक्षर A/5
नाम श्री रामदेव
पद मुख्यमंत्री

२६८
२३/११/२५

७२



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **ओरीवन्द कुमार शर्मा**
 2. वर्तमान धारित पद **सहायक माईंग**
 3. वर्तमान वेतन **6900/- + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जून 2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वरताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, बेटा या लभ्य किसी प्रकार से तथा अंजन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
झीला (वार्ड/क्लॉड/कॉम्प्ल.)	—	३२५८	लगभग ७.५ लाख	स्वयं	पैकिएक	—	—
झीला (क्लॉड)	भवन	७५० वर्गमीटर	लगभग १० लाख	स्वयं	पैकिएक	—	—
भौपालो (वार्ड/क्लॉड/कॉम्प्ल.)	—	१००० वर्गमीटर	लगभग ०६.०१.२५	श्रीमती राजू शर्मा (पत्नी)	खरीद २०१०	—	—
भौपाल (रोलूरियडी)	—	१५०० वर्गमीटर	लगभग ८.५ लाख	श्रीमती राजू शर्मा (पत्नी)	खरीद २०१७	—	—
भौपाल (क्लॉड/कॉम्प्ल.)	भवन	१५०० वर्गमीटर	लगभग ३७ लाख	स्वयं रखें श्रीमती राजू शर्मा (पत्नी)	खरीद २०२०	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ भूमि का सही-यही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रियति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर भागीने की अवधि के प्रत्यात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **ओरीवन्द कुमार शर्मा**
पद
सहायक माईंग

245
21/11/25

93



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन 69,000 + DA

राजेश कुमार पाण्ड्य

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

2. वर्तमान धारित पद

संघर्षक मार्शल

जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	वहि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकारि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल 20A सुरुचि नगर क्षेत्र सुल्तानपाटी	भवन स्थापित खर्च कोनकल्प में 26 रुड्डे	भूमि 40,000/- 20x45 लगभग 900 feet 31,000/- लंगठूँ कर्म गतिशाल	गृह तथा अन्य मूल्य मूल्य राजस्वीकृति राजस्वीकृति पाण्ड्य पाण्ड्य पाण्ड्य पाण्ड्य	राजस्वीकृति कृपसे राजस्वीकृति राजस्वीकृति पाण्ड्य पाण्ड्य पाण्ड्य पाण्ड्य	① द्वील बड़े का भूखड़ 5600/- के विक्रय करते एसबीआई से मध्यूम्हा लो NCL संयुक्त कृपसे एसबीआई से P. 100 लेतर एसबीआई से लोन लेतर एसबीआई से लेतर एसबीआई की क्यरत ऊरुथ एसबीआई की क्यरत एसबीआई के पैसे करते		

* जहां लगा न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-राही निश्चारण करना सभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रश्न श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके बफने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में

हस्ताक्षर 1 श. ३०-२५०
नाम राजेश कुमार पाण्ड्य
पद संघर्षक मार्शल
(संघर्षक मार्शल)

149
18/11/25

94



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अवनीश कुमार गिरि 2. वर्तमान धारित पद सदापन भाई
 3. वर्तमान वेतन 6.700/- + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	गदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ^{वारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है}	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, गेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की शारीर और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति रो वार्षिक माय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम पंचायत की नौकरी किलोवा	6 एकड़		स्वप्न के नाम पर	पैकू के दामति			
② वन्यज्याकार रीवा	आवाह	15.75 करोड़	स्वप्न के नाम पर	पितामहीना			
③ वृक्षपुटी कलाली नीलवट भापाल	आवाह	1200 करोड़	पत्नी के नाम पर	पत्नी का पुरुष किपाग			
④ गोरागाव भापाल	लाल	3000 करोड़	पत्नी के नाम पर	पत्नी का पुरुष किपाग			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रिखति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवाह) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाराह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवका उसे विरासत में भिजाया या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी दूसरे के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

Amy

हस्ताक्षर

नाम अवनीश कुमार गिरि

पद सदापन भाई

संख्या ३६५३ बाईल

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **मुख्य कुमार पाठी**
 2. वर्तमान भारित पद **सहाय माला**
 3. वर्तमान वेतन **57,400 + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **८१२५/१२/२०२५**

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	बदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ¹ भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला राया (म०४०)	लग्नी	20,500/-	पटा	पिंडी राया १९९६- ३८/१६०/०१५/	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां भूम्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिवर्टि के संदर्भ में लम्भग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर भ्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी भद्रस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल संपत्ति के अधीन दें।

हस्ताक्षर *पाठी*
नाम **मुख्य कुमार पाठी**
पद **सहाय माला**

296
27/11/25

96



फा०

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलसम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विश्वनाथ प्रज्ञान यात्री** 2. वर्तमान धारित पद **कलापक्ष भाष्यक**
3. वर्तमान वेतन **₹ 67,000/- P.M.** अग्रीवेतनवृद्धि की तारीख **जनवरी 2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे	** वर्तमान मूल्य	वहि स्वयं के नाम परन हं तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंधः	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरापत, मेट या अन्य विस्ती प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नोट

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां गूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिते के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम रिणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में गहरी नियुक्ति के समय और उसके बादशाहीक बानरुद्ध महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हारा अर्जित अवश्य उन विरापत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा धारित समस्त अचल संपत्ति के औरे दें।

हस्ताक्षर
नाम : **विश्वनाथ प्रज्ञान यात्री**
पद : **कलापक्ष भाष्यक**

105
10/11/25

97



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेन्द्र पाठ्टीम 2. वर्तमान धारित पद महाप्रभारी
3. वर्तमान वेतन 67000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे विस प्रकार अर्जित विद्या या *** खरीद, पट्टा, बंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन यी तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) <u>ग्राम गोहटा</u> <u>पो० पुर्णी</u> <u>जिला बीड़ी</u> <u>बांग०</u>	<u>एक भवन</u>	<u>दस एकड़</u> <u>भूभित्तु</u> <u>मकान</u>	<u>३० अक्टूबर</u> <u>पाँचलाप्ति</u> <u>३० दसलाप्ति</u> <u>अनुमानित</u>	<u>द्वारा के नाम</u>	<u>ऐन्हुक अवन</u> <u>द्वारा भूमि</u> <u>दिनांक ३०/१२/२०२५ को दिना</u> <u>के मूल्य उत्तरान्त अर्जी नाम</u> <u>दर्ज दुई</u>	<u>एक लाख</u> <u>रुपये</u> <u>क्षणांप्रति</u>	

* जहां नाम न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान लिखित के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात नह धोषणा एवं अर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में दिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम राजेन्द्र पाठ्टीम
पद महाप्रभारी

216
26/11/25

98



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नीरेंद्र कुमार शिंगा 2. वर्तमान धारित पद सहा. भारती
3. वर्तमान वेतन 67.000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 25

उस जिले, उप संचाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरिे	** वर्तमान मूल्य	गदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा घौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा जिला	मकान	58x45	15लाख	प्टो भाईयों के जाप लंकुम्ह नाम पर	पिरा जी छाय ऊपर छिला जाया था.		
श्रीवा जिला	भूमि	१५ एकड़	१५ लाख	— " —	— " —		
मोपाड़ जिला	प्रकोष्ठ	५४० स्क्यू फिट	२०लाख	पत्नी एवं लंग के नाम पर	बीच से अलाशीय ऊप ५०,०००/ वर्ष		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रिक्ति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - भृत्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम बेंजी, द्वितीय बेंजी तथा तृतीय बेंजी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर घट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर X
नाम नीरेंद्र कुमार शिंगा
पद सहा. भारती

१४७
१५१२५

९९



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नरेन्द्र शर्मा
 2. वर्तमान धारित पद सहायक मालिक
 3. वर्तमान वेतन ६७१०० + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गाँव का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	* वर्तमान मूल्य	वहि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ^{***} धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उरस - अहमदाबाद कल्याणपुर तहान-हिंजुर जिला - झोपड़ाल(झुजु)	/	५०×५० २०००×२०००	२८६०,०००/- २०००×२०००	नरेन्द्र शर्मा लक्ष्मी रवि छोटे शर्मा एवं अद्वाइल-हिंजुर शर्मा लाल लाल के नाम से जपेंद्र लगभग)	पवनसिंह राजपूत ५० ओर एस. राजपूत निकामी-झोपड़ाल(झुजु)	/	/

* जहां साथौ न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित वशवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर १५१२५

नाम नरेन्द्र शर्मा

पद सहायक मालिक

सहायक मालिक

122
131/125

100



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **ठिशोर महाजन** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक मार्शल**
3. वर्तमान वेतन **Rs. 67,000/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **भुजाई 2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यारा	संपत्ति से वार्षिक व्यय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोट्या पाँडिनें कॉलोनी, अवधीपुरी, रवीरीका। भोपाल (म-प-)	फ्लैट	४	लगभग कपखे २०,००,०००/- (कपखे लाख) लाख	रवें एवं पत्नी के नाम बंधुक- कप से	रवें श्री व्याजत, GPF, बैंक लोन हारा।	५।	दिक्षिण है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनियुक्ति है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाराह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक गर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के व्यारे हों।

हस्ताक्षर
नाम
पद

ठिशोर महाजन
सहायक मार्शल

243
21/1/25

101



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बृजेन्द्र सिंह दाहा 2. वर्तमान धारित पद संघ मीटिंग
3. वर्तमान वेतन67000 + DA..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख1/7/2025.....

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापारी		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापारी	संपत्ति से नार्विक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	शूष्मि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तेज-उत्तरप्रदेश जिला-गुड़ाकोट (माल.)	47½ x 50 कि.मी कर्मा सभा 40x50 मि.		50 लाख लगातार		25,00000 का दूस. बी. आर्ट से लोन लेकर एक घृतबैंगनाम ले तर्माला करता।		
गढ़-उत्तरप्रदेश जिला-गुड़ाकोट कर्मा-उत्तरप्रदेश जिला-गुड़ाकोट (माल.)	25 एकड़ियाँ कर्मा-गुड़ाकोट (माल.)	25 लाख लगातार	25 लाख लगातार	सुधावन्दु देव चौरां (पुरा)	बंवारा (कुटुंब) (पूर्ण)		

* जहां लागू न हो काट दीविए।

** ऐसे भागों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवक्षा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

बृजेन्द्र सिंह दाहा
संघ मीटिंग

206
20/11/25

102



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीवाका-तुड्ये 2. वर्तमान धारित पद सहायक-मार्शल
3. वर्तमान वेतन 53000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संचाग, तालुका तथा गाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक माप	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12 नं० वशं स्थाप के पाल भोपाल म. घ.	रु०	-	वाजार मूल्य	स्वयं	मर. वी. आई. बैंक से रिल. लेकर कम किमा गया १२।	नहीं	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** दूसरे अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम बेणी, द्वितीय बेणी तथा तृतीय बेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अवक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के अधीन हों।

हस्ताक्षर

नाम श्रीवाका-तुड्ये

पद सहायक-मार्शल

242
21/1/25

103



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शोरापूर्ण कुमार गोतम ५
2. वर्तमान धारित पद भौतिक विद्युत इंजिनियर
3. वर्तमान वेतन .6.70.00+DA..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख .01/07/2025..... अन्यायिक गार्डल

उस विले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वरतात्त्वद्वये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्थीर, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वापिक आग	विभिन्नता
	गृह तथा अन्य भवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा (झ.ए.)	30X40 लग्नीफिल्ट	1200 लग्नीफिल्ट	राशनग 3,80,000	श्रीमती रश्मि गोतम (पत्नी)	उपर्युक्त	कुछ-ही	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्येक यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित ब्रथवा उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर *Shyamal*
नाम 21/01/25

पद शोरापूर्ण कुमार गोतम

पद अन्यायिक गार्डल

१०३
१०/११/२५



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रभात कुमार लिलारी
2. वर्तमान धारित पद सहायक मार्शल
3. वर्तमान वेतन 63,100 + D.A..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025.....

उस जिले, उप संचाग, राज्यका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापक		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से न्या संबंध है	उसे विस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विराशत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक काय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल नीलवड़ (बेररवेडी)	X	मुख्य ०५ 25X60 1500'०	1,00,00/-	श्री मती करुणा लिलारी (पत्नी)	X	N.L.	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विराशत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के भौति दें।

हस्ताक्षर
नाम प्रभात कुमार लिलारी
पद सहायक मार्शल
मात्रा ८८-५० विद्या-८८७८

162

16/1/25

105

411

15/01/25

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अंतर्राष्ट्रीय मुराबा** 2. वर्तमान शारित पद **सहाय्यक**

3. वर्तमान वेतन **52500/- + DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2025**

उस विसे, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्यं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर व्याखित है और उसका वासकीय कर्मचारी से ज्ञात संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यीरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-उमराहा लर-नीरुड्डुर विलापनाला	कृषि भूमि 5.62 एकड़ी	118 लाख-सौ लाख-पाँच सौ अम्बा					

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के रोदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन गट्ठे भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदरम्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदरम्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा व्याखित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर 15/01/2025
नाम **अंतर्राष्ट्रीय मुराबा**
पद **सहाय्यक**

*M. S. 2025
15/01/2025
अंतर्राष्ट्रीय मुराबा
सहाय्यक*

291
27/11/25

106



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अरुण पटेल 2. वर्तमान धारित पद सदाचार मार्शिल
3. वर्तमान वेतन 52,500 + D.T. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 2025

उत्तर जिले, उप संचाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका नामकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्तर किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंशक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मुमान नं.-189 “द्विव भाजनी वाटिला” डाम. दिवोत्तम भाजन ओला रोड भाजन क. प.	रुपै	53,80,00/- व्यावधि लाल भाजनी द्वारा भाजन	शेंगे एवं पट्टि एवं लाल भाजन रुपै रुपै	क्षेत्र किमान ।	रुपै		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सचासग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन यद्यु भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें चाहे उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यद्यु या बंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर Harish
नाम

पद अरुण पटेल
2025 मार्शिल

101
10/1/25

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पूजा भालवीय 2. वर्तमान धारित पद सहायक भारी ०७
3. वर्तमान वेतन 52,500/- P.M. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या राशं वापस है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
झंजरा 502, सर्वदाम, उठह जिला सहस्रनाम (स्थि-सेवक) उठहसील हुए जिला झोपड़ा	25x40 (इपलैक्स)	प्रायार्क्यूर 46,85,000/- अंतर्राष्ट्रीय रूप मियाली दूर प्रदेशीय रूप 20-01-1993	स्वयं जो नाम पर	स्वयं जीवन्त लव सैन्य बैंग जाँ इषिश्चार्से लोन तुलनाहि			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगातार मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - भारतप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के गमग और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा गत भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित बथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हों।

हस्ताक्षर
नाम पूजा भालवीय
पद सहायक भारी ०७

293

27/11/25

108

624

27/11/25

१५४८

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अधल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स्थानिक अधिकारी
2. वर्तमान भारित पद संवादक बाल
3. वर्तमान वेतन 52500 + शाही, अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/06/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम, तथा व्यापार		* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर घारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरापत, भेट या बन्ध किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौपी	संपत्ति से बार्थिक आय	बचाए गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				51705			

* जहाँ नाम न हो कोटी जिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्श में भगाड़ग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टा सी सम्पत्ति है।

टिप्पणी - महायानोदेश भारतीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अशीन प्रथम शेषी, द्वितीय शेषी तथा तृतीय शेषी सेवा के प्रत्येक सदर्श से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चाहूँ महीने की अवधि के पश्चात यह भौतिक सेवा के प्रत्येक सदर्श में वह उसमें वह उनके द्वारा अंजित वस्तु उसे विरापत में रिसी या उसके अपने नाम पर या उसके पत्र गर तर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके द्वारा अंजित वस्तु उसे विरापत में रिसी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदर्श के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या बंधक पर उनके द्वारा घारित सबस्त अचल संपत्ति के व्यापार हैं।

हस्ताक्षर जुलाई
नाम स्थानिक अधिकारी
पद संवादक बाल

176
16/11/25

109



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो २. वर्तमान धारित पद
 ३. वर्तमान वेतन ५६,५०० + डॉ. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०२-२०२५ सह सुरक्षा तिथि

उस जिले, उप संभाग, सालुका तथा घाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि चर्चे के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक माय	अधियुक्ति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					५६८८		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मालाले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रियति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिल्प की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में पिछी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में

हस्ताक्षर
नाम नीटा संवित
पद सह सुरक्षा तिथि
सह सुरक्षा तिथि

३१/१/२५

110



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जहाँ खुमार भालती 2. वर्तमान धारित पद टाइपिंग सुन्दरा अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 48760/- + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छरीद, पटा, बंधक, विरासत, मैट या अन्य विस्तीर्ण प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति रो वार्षिक आय	अनियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

11.7.

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर वर्त प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या विसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गढ़े या बंधक पर उसके द्वारा अर्जित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
नाम जहाँ खुमार भालती
पद टाइपिंग सुन्दरा अधिकारी

274
23/11/25

111



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 २४-२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वन्दना अम्बाइकर
2. वर्तमान धारित पद सह मालिक
3. वर्तमान वेतन ५१०० + ५५
4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित निया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	बम्बियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तालुका रेहडी पिंडा सिंहोर (मा.पा.)	नदी:	१९२	बाजार मूल्य	स्वामी	क्रय	वर्तमान में नदी:	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विभाति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन यद्युपी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर Vardhan

नाम वन्दना अम्बाइकर

पद सह मालिक